न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 63/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एसेट रिकस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय दी रूबी 10 वीं मंजिल 28, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुम्बई 400028 (ARCIL-TRUST-2025-011 के ट्रस्टी की क्षमता में) जरिये प्राधिकृत अधिकारी विरेन्द्र यादव

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. पूरण सिंह पुत्र भंवर सिंह

प्रथम पताः– 54, गढ़ मौहल्ला, बालवाड़, तहसील खंडेला, जिला सीकर, राज.

द्वितीय पताः– पट्टा संख्या 2366, बुक संख्या 24, दिनांक 02.10.2008, बालवाड़, ग्राम पंचायत सुजाना, पचायत समिति खंडेला, सीकर, राज.

2. अनोप कंवर पत्नि पूरण सिंह

प्रथम पताः– 54, गढ़ मौहल्ला, बालवाड़, तहसील खंडेला, जिला सीकर, राज.

द्वितीय पताः– पट्टा संख्या 2366, बुक संख्या 24, दिनांक 02.10.2008, बालवाड़, ग्राम पंचायत सुजाना, पचायत समिति खंडेला, सीकर, राज.

3. छिंतर सिंह पुत्र श्योनारायण सिंह

प्रथम पताः– 12, राजपूत मौहल्ला, बालवाड़, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर,

द्वितीय पताः– पट्टा संख्या 2366, बुक संख्या 24, दिनांक 02.10.2008, बालवाड़, ग्राम पंचायत सुजाना, पचायत समिति खंडेला, सीकर, राज.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः– 27 अप्रेल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **पूरण सिंह पुत्र भंवर सिंह, अनोप**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कंवर पत्नि पूरण सिंह एवं **छिंतर सिंह पुत्र श्योनारायण सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा संख्या 2366, बुक संख्या 24, दिनांक 02.10.2008, बालवाड़, ग्राम पंचायत सुजाना, पचायत समिति खंडेला, सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 143 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्वयं का बाड़ा, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में चौथमल यादव का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹4,00,000/– (अक्षरे रूपये चार लाख)** की ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.05.**2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **30.05.2025 का** धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **पूरण सिंह पुत्र भंवर सिंह, अनोप कंवर पत्नि**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पूरण सिंह एवं **छिंतर सिंह पुत्र श्योनारायण सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **पट्टा संख्या 2366, बुक संख्या 24, दिनांक 02.10.2008, बालवाड़, ग्राम पंचायत सुजाना, पचायत समिति खंडेला, सीकर, राज.** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 143 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्वयं का बाड़ा, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में चौथमल यादव का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **27 अप्रेल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर